राजस्थान सरकार
राजस्व (ग्रुप-6) विभाग

क्रमांक:एफ- 6(12)राज-6/99/ 8 जयपुर, दिनांक 15-[illegible]-2011

जिला कलेक्टर (समस्त)
राजस्थान

परिपत्र

राजस्थान में लगभग सभी ग्राम पंचायत स्तर/ तहसील स्तर/ जिला स्तर पर राज्य सरकार की विद्युत वितरण निगमों द्वारा सुचारू रूप से विद्युत वितरण करने हेतु 33/11 केवी ग्रिड सब स्टेशनों (33/11 KV GSS) का निर्माण कराया जाता है। इस हेतु भूमि का आवंटन राज्य सरकार की स्वीकृति से विभागीय अधिसूचना दिनांक 13-10-2005 के तहत कीमतन किया जाता है।

अब राज्य सरकार द्वारा यह निर्णय लिया गया है कि:-

(1) 33/11 केवी ग्रिड सब स्टेशन निर्माण हेतु (स्टोर व कार्यालय कक्ष सहित) अधिकतम 1 बीघा (2500 वर्गमीटर) भूमि पर्याप्त होती है। अतः भविष्य में इस प्रयोजन के लिये अधिकतम 2500 वर्गमीटर भूमि का ही आवंटन किया जावेगा।

(2) वर्तमान में विद्युत निगमों को भूमि आवंटन के प्रस्ताव जिला कलेक्टरों द्वारा राज्य सरकार को प्रेषित करने से भूमि आवंटन में विलम्ब होता है, जबकि 33/11 केवी ग्रिड सब स्टेशन बनाने का कार्य लोक प्रयोजन का होने से यह आवश्यक है कि भूमि के आवंटन में विलम्ब नहीं हो। अतः 33/11 केवी ग्रिड सब स्टेशन बनाने हेतु निर्धारित मापदण्ड की सीमा तक अर्थात 2500 वर्गमीटर की सीमा तक प्रतिबन्धित श्रेणी की भूमियों को छोड़ कर विभागीय अधिसूचना दिनांक 13-10-2005 में वर्णित शर्तों के अध्यधीन कीमतन राजकीय भूमि और चरागाह भूमि आवंटन हेतु, विभागीय परिपत्र क्रमांक प.10(3) राजस्व-6/2001/7 दिनांक 24-05-2011 जिसके द्वारा चरागाह भूमियों के आवंटन पर रोक लगायी गयी थी, में इस निमित्त शिथिलता प्रदान करते हुये, सम्बन्धित जिला कलेक्टर्स को एतद्द्वारा अधिकृत किया जाता है।

चरागाह भूमि की क्षतिपूति के आदेश भी भूमि आवंटन आदेश के साथ ही जारी किये जावें अन्यथा भूमि आवंटन आदेश में स्पष्ट रूप से उल्लेख किया जावे कि चरागाह भूमि की क्षतिपूर्ति के लिये भूमि उपलब्ध नहीं है।

उपशासन सचिव
15/6/11

प्रतिलिपि:-

1. विशिष्ठ सहायक, माननीय राजस्व मंत्री महोदय, राजस्थान सरकार।
2. निजी सचिव, माननीय राजस्व राज्य मंत्री महोदय, राजस्थान सरकार।
3. निजी सचिव, प्रमुख शासन सचिव, राजस्व विभाग, राजस्थान।
4. उपशासन सचिवगण (समस्त अनुभाग), राजस्व विभाग, राजस्थान।
5. रक्षित पत्रावली।
6. मास्टर गार्ड पत्रावली।

उपशासन सचिव
15/6/11